यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक ईको - टूरिज्म (उत्तराखण्ड) देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक ईको - टूरिज्म (उत्तराखण्ड) देहरादून के माह 08/2013 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीना लेखापरीक्षक तथा श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 09.10.2017 से 12.10.2017 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अ धकारी के आं शक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर संह वरि. ले. प. द्वारा श्री आई.के. जुयाल लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 20.08.2013 से 26.08.2013 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से माह 07/2013 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2012 से 07/2013 तक के लेखा अ भलेखों की लेखा परीक्षा की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 08/2013 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 08/2013 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखा परीक्षा की गई है

इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः उत्तराखण्ड

(i) (ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	शून्य
2015-16	शून्य
2016-17	शून्य

(ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2013-14	3139686	3139686	1296578	1296578
2014-15	3057250	3057250	6677086	6677086
2015-16	3188393	3188393	7177026	7177026
2016-17	3158134	3158134	11877247	11877247
योग	12543467	12543467	27027397	27027397

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2016-17	कैम्पा	-	2.98लाख	2.98 लाख	-

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** शासन के द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना राजस्व को सम्मिलित न करते हुए इकाई c श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

1. **प्रमुख वन संरक्षक 2.अपर प्रमुख वन संरक्षक 3 मुख्य वन संरक्षक 4. वन संरक्षक 5. प्रभागीय वनाधिकारी**

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में मुख्य वन संरक्षक ईको - टूरिज्म (उत्तराखण्ड) देहरादून को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक ईको - टूरिज्म (उत्तराखण्ड) देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2016 एवं 05/2016 को व्यय की वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया

माह --------- का चयन प्राप्तियों की वस्तरत जांच एवं माह 07/2016 का चयन अंकग णतीय शुद्धत्ता के लए कया गया

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय से संबन्धित

STAN-1

`6.15 लाख के उपयो गता प्रमाण पत्र संबन्धित कार्यालय को प्रे षत न कया जाना।

उत्तराखण्ड मुख्य वन संरक्षक, ईको-टूरिज्म, उत्तराखण्ड देहरादून के वर्ष 2016-17 के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क कार्यालय को उत्तराखण्ड पर्यटन वकास परिषद एवं उत्तराखण्ड वन वकास निगम से चतुर्थ उत्तराखण्ड स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल 2017 के आयोजन हेतु `6,15,000 की धनरा श दी गयी थी। कार्यालय को उक्त धनरा श का उपयो गता प्रमाण पत्र संबन्धित कार्यालय को उसी वत्तीय वर्ष में प्रे षत कया जाना था कन्तु कार्यालय द्वारा उक्त धनरा श का उपयो गता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा ति थ (अक्टूबर 2017) तक संबन्धित कार्यालय को नहीं प्रे षत गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग दिवारा उत्तर दिया गया क उपयो गता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रे षत कर सू चत कर दिया जाएगा।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN-2

अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा `0.47 लाख जमानत की धनरा श जमा न कया जाना।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको-टूरिज्म, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जमानत जमा से संबन्धित दी गयी सूचना के आधार पर निम्न ल खत अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवशेष जमानत धनरा श जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनरा श(`)	जमा धनरा श(`)	अवशेष रा श(`)
1.	श्रीमती प्रेम खन्ना	मुख्य प्रशासनिक अ धकारी	1000	-	1000
2.	श्री जयपाल संह	प्रशासनिक अ धकारी	1000	-	1000
3.	श्री अ मताभ जोशी	उप वन क्षेत्रा धकारी	20000	-	20000
4.	श्री रवीन्द्र निराला	उप वन क्षेत्रा धकारी	20000	-	20000
5.	श्रीमती गरेशो	प्रधान सहायक	1000	-	1000
6.	श्री ईशान ध्यानी	वरिष्ठ सहायक	1000	-	1000
7.	श्रीमती नीलम देवी	कनिष्ठ सहायक	1000	-	1000
8.	श्री सुभाष लाल	डा कया	500	-	500
9.	श्री पान संह बिष्ट	अर्दली	500	-	500
10	श्री जयप्रकाश डबराल	चौकीदार	500	-	500
	योग-				46500

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग-2 (ब)

प्रस्तर01- अस्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनात खला सयों के वेतन भत्तों पर `4.44 लाख का अनिय मत कम व्यय।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको-टूरिज्म, उत्तराखण्ड देहरादून की नमूना जांच में पाया गया क कार्यालय द्वारा खलासी के पद सं वदा के आधार पर मै. गर्ग कांट्रैक्ट स र्वसेस, देहरादून के माध्यम से नियुक्त कए गए है जब क इन पदों हेतु न तो कोई शासनादेश ही निर्गत कया गया है एवं न ही खलासी के पद वभाग में स्वीकृत है। इस पद कार्यालय द्वारा अगस्त 2013 से मार्च 2017 तक `4,43,909 का भुगतान कया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क फॉरेस्ट मैनुअल के आर्टिकल 104 (ब) 3 (ए) के अंतर्गत खलासी पद का प्र वधान है। वन वभाग में खलासी रखने की प्र कया बहुत पुरानी है। वर्तमान में भी उ.प्र. वन वभाग में खलासी रखे जा रहे है तथा उत्तराखण्ड राज्य भी उ.प्र. राज्य से ही अलग हुआ है जिस कारण उत्तराखण्ड वन वभाग में प्रच लत प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही गतिमान है। खलासी को रखने में कोई अनिय मत व्यय नहीं कया गया है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क कार्यालय में खलासी का पद स्वीकृत नहीं है अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
54/2013-14	-	02	01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य वन संरक्षक ईको - टूरिज्म (उत्तराखण्ड) देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री राजीव भरतरी	मुख्य वन संरक्षक
2	डा. क पल जोशी	मुख्य वन संरक्षक
3	श्री जी.एस. पाण्डे	मुख्य वन संरक्षक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति मुख्य वन संरक्षक ईको - टूरिज्म (उत्तराखण्ड) देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी